

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-1/स्था०/श०स्था०नि०(नियमावली)/न०वि०-17/2015-^{2005(अ)} राँची/दिनांक-^{05/04/16}
पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 के केन्द्रीय अधिनियम 7) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ एवं विस्तार :-

- (1) इस नियमावली को "झारखण्ड पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2015" कहा जायेगा।
- (2) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
- (3) इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

परिभाषाएं :-

(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) "अधिनियम" का अर्थ है, स्ट्रीट वैडर्स (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम सं०-7);
- (ख) "उप विधि" का अर्थ है धारा 37 के अन्तर्गत बनाई गई उपविधि;
- (ग) "फार्म" का अर्थ है इस नियमावली के साथ संलग्न फार्म;
- (घ) "सरकार" का अर्थ है झारखण्ड सरकार;
- (ङ) "शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति" का अर्थ है शिकायत निवारण या विवादों के समाधान हेतु अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के अधीन नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा गठित समिति;
- (च) "स्थानीय प्राधिकरण" का अर्थ है अधिनियम की धारा 2 (1)(ग) के अधीन यथा परिभाषित झारखण्ड राज्य के समस्त शहरी स्थानीय निकाय, जिसमें रामगढ़ छावनी बोर्ड शामिल है;
- (छ) "नगर आयुक्त/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी" का अर्थ है झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के सर्वोच्च प्रशासी पदाधिकारी;
- (ज) "नियम" का अर्थ है अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत बनाए गए नियम;
- (झ) "अनुसूची" का अर्थ है इस नियमावली या अधिनियम के साथ, जैसी भी स्थिति हो, संलग्न अनुसूची;

Kush
Kush

J

362

- (ज) "योजना" का अर्थ है धारा 38 के अन्तर्गत उपर्युक्त सरकार द्वारा बनाई योजना;
- (ट) "धारा" का अर्थ है अधिनियम की धारा;
- (ठ) "विशेष समाधान" का अर्थ है कम से कम 14 दिन की सूचना पर टाऊन वैडिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा घोषित समाधान तथा जिसे टाऊन वैडिंग समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना अपेक्षित है जो बैठक में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई से कम न हो।
- (2) अधिनियम तथा इस नियमावली में परिभाषित शब्द तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उनके लिए अधिनियम में निश्चित किया गया है।

अध्याय--II

स्ट्रीट वैडिंग के विनियम

2. रेहड़ी लगाने का प्रमाण पत्र देने के लिए आयु निर्धारण— रेहड़ी लगाने के लिये रेहड़ी लगाने वाले की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और उसी व्यक्ति को ही धारा 4 के अन्तर्गत रेहड़ी लगाने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

अध्याय—III

विवाद निपटाने की प्रक्रिया

4. शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समितियाँ —
- (1) स्थानीय प्राधिकरणों के लिए, जिसका सरकार ने अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत गठन किया है, राज्य में एक या एक से अधिक शिकायत निवारण एवं विवाद निपटान समिति होगी, जिसमें एक अध्यक्ष, जो दीवानी न्यायाधीश या न्यायिक दण्डाधिकारी रह चुके हों तथा दो अन्य विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में होंगे।
- (2) शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति सरकार करेगी।
5. शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समितियों में सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव—
- किसी शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति में व्यावसायिक सदस्य रूप में कोई व्यक्ति पात्र होगा, यदि —

- (i) समिति के सदस्यों की नियुक्ति 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक निर्धारित रहेगी एवं न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष रहेगा, तथा
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त की हो, तथा
- (iii) योग्यता, सत्यनिष्ठा तथा प्रतिष्ठा वाला-ऐसा व्यक्ति, जिसे सामाजिक कार्यों या रेहड़ी लगाने वालों की समस्याओं के निपटान या सार्वजनिक मामलों या नगर निगम या लोक प्रशासन में पर्याप्त जानकारी या कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो।

या

वह केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार में समूह 'क' पद से सेवानिवृत्त अधिकारी हो अथवा किसी शहरी स्थानीय निकाय से समूह 'क' पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी।

6. शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा अन्य भत्ते तथा निबंधन और शर्तें :-

7005 (अम),
65104/16

(1) शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष वही वेतन, भत्ता तथा अन्य परिलब्धियाँ प्राप्त करेगा, जिसके लिए सेवारात सिविल जज (वरीय श्रेणी) पात्र हैं, यदि उसे पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है तो सेवारात सिविल जज (वरीय श्रेणी) के लिए निर्धारित वेतनमान के प्रारम्भिक प्रक्रम पर अनुमान्य वेतन प्राप्त करेंगे, पर यदि पार्ट टाइम आधार पर नियुक्त किया गया है तो वह माह के कार्य दिवसों के आधार पर दो हजार रुपये प्रतिदिन के मानदेय का पात्र है।

बशर्ते जहाँ सेवानिवृत्त व्यक्ति जो सिविल जज या न्यायिक दण्डाधिकारी रह चुके हैं एवं पूर्णकालिक आधार पर, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं, तो वह भत्तों के साथ-साथ अंतिम आर्हत वेतन-पेंशन घटाकर पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3828 दिनांक-13.11.2014 के प्रावधानानुसार पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान अनुमान्य होगा।

(2) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के सदस्य पच्चीस हजार रुपये की समेकित राशी प्राप्त करेंगे, यदि वे पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त हुए हैं या प्रति दिन एक हजार पाँच सौ रुपये का मानदेय प्राप्त करेंगे यदि पार्ट टाइम आधार पर नियुक्ति हुई है। यदि अतिरिक्त सदस्य की पूर्णकालिक सदस्य के आधार पर नियुक्ति होगी तो वह प्रति माह परिवहन भत्ता के रूप में सात हजार रुपये प्राप्त करने का पात्र है :-

बशर्ते जहाँ सेवानिवृत्त सरकारी/ म्यूनीसिपल अधिकारी पूर्णकालिक आधार पर सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हो, उसके पास विकल्प होगा कि अंतिम वेतन आहरण पेंशन के साथ भत्ते प्राप्त करे।

K.K.K. / [Signature]

[Signature]

264

(3) सरकार शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यालय से हटा सकती है यदि वह :-

- (क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या
- (ख) सरकार की नजर में उसने ऐसा अपराध किया हो, जो नैतिक नीचता से संबंधित हो, या
- (ग) कोई अध्यक्ष या सदस्य शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो, जैसी भी स्थिति हो, या
- (घ) उसने ऐसी वित्तीय लाभ अर्जित किया हो जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जैसी भी स्थिति हो, या
- (ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो जिसके कारण जनहित में कार्यालय में उनकी निरंतरता संभव न हो।

बशर्त कि उप नियम 3 खंड के खण्ड (घ) एवं (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर अध्यक्ष या सदस्य को सरकार द्वारा जाँच के बाद ही हटाया जा सकता है।

2005 (33)
65/04/16 (4)

शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा की निबंधन व शर्तों, पद में उनके कार्यकाल के दौरान उनके समाधान के प्रतिकूल नहीं होगी।

7. शिकायत के निवारण या विवाद के समाधान के लिए आवेदन हेतु फार्म एवं प्रक्रिया:-

- (1) अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (2) के अन्तर्गत शिकायत निवारण या समाधान के लिए प्रत्येक आवेदन फार्म 'क' में होगा।
- (2) आवेदक द्वारा आवेदन को हस्ताक्षर कर व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष को या समिति की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करना होगा।
- (3) आवेदन की तीन प्रतियाँ भरनी होगी और सौ रुपये की फीस देनी होगी।

8. आवेदन एवं जाँच के सत्यापन की प्रक्रिया :-

- (1) शिकायत निवारण के लिए प्राप्ति पर प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टि की जाएगी और अधीक्षक या शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इस उद्देश्य के लिए रखे रजिस्टर क्रमानुसार प्रविष्टि की जायेगी।
- (2) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति द्वारा उनकी ओर से प्राधिकृत किये गये व्यक्ति या अधीक्षक द्वारा, मामले के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टि करने के बाद

R. 148
1/11/16

1

आवेदन को शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

- (3) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति आवेदन की सुनवाई की तिथि नियत करेगी और पक्षकारों को सुनवाई की सूचना जारी करेगी या सूचना जारी करवाएगी।
- (4) उप नियम (2) के अन्तर्गत शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति सूचना जारी करते समय प्रतिवादी से लिखित कथन प्रस्तुत करने को कहेगी और सूचना में इस आशय का उल्लेख होगा।
- (5) पक्षकार की हाजिरी के लिए नियत तिथि को शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति आवेदकों से कमियों को दूर करने की मांग कर सकती है, यदि कोई हो तो, या पार्टियों से संबंधित कमियों, रिकार्ड या अन्य ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है, जो समयानुसार आवश्यक हों।
- (6) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड के संबंध में तथा आवेदकों तथा प्रतिवादी द्वारा किए गए विवाद के संबंध में फील्ड जाँच के लिए आदेश दे सकती हैं।
- (7) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति पक्षकारों को सुनने एवं मामलों के रिकार्ड की जाँच के बाद आवेदनों पर निर्णय लेगी और आवेदन के प्रस्तुतिकरण के नब्बे दिनों के अन्दर पर्याप्त एवं यथोचित आदेश पारित करेगी।
- (8) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति पक्षकारों के बीच समझौता की संभावना को तलाशेगी और यदि पार्टियाँ समझौते पर पहुँचती हैं तो शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति समझौते को रिकार्ड करेगी, जिस पर पार्टियों के हस्ताक्षर होंगे या प्राधिकृत प्रतिनिधि/अधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे और ऐसे समझौते के तहत आवेदन का निपटान होगा।
- (9) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं करेगी जिसमें :-
 - (क) आवेदन गुमनाम है या इसमें सामान्य एवं अस्पष्ट अभिकथन हैं,
 - (ख) मामला किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या न्यायिक या न्यायिकवत् प्राधिकार में न्यायाधीन है,
 - (ग) मामला अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से परे हो,
 - (घ) आवेदन दायर करने के लिए आवेदक को सुने जाने का अधिकार नहीं है।

366

अध्याय-IV

अपील

9. शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील-

(1) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के किसी आदेश या निर्णय के विरुद्ध असंतुष्ट व्यक्ति फार्म "ख" पर संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गठित अपील प्राधिकरण को ऐसे आदेश या निर्णय के विरुद्ध सूचना की तिथि से तीस दिनों के अन्दर अपील कर सकता है,

बशर्ते कि अपील प्राधिकरण मामले में विलम्ब को माफ कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदन को तरजीह देने की आवेदक के पास बचने के पर्याप्त कारण हैं।

(2) अपील का रूप किसी ज्ञापन की तरह होगा और यह अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। अपील का ज्ञापन मूल ऑर्डर या ऑर्डर की प्रमाणित प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के साथ संलग्न करना होगा।

(3) अपील के लिए तीन सेट दायर करने होंगे, जिसके साथ दो सौ रुपये केवल शुल्क के रूप में देने होंगे।

(4) किसी ऐसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी प्रति प्रतिवादी को पहले से वितरित की जा चुकी है और उसे ही दायर किया जा रहा हो। अपील का ज्ञापन के साथ ऑर्डर की मूल या सत्यापित प्रति संलग्न की जाएगी, यदि कोई है जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है।

(5) जहाँ पार्टियों के बीच समझौता हो चुका है वहाँ शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति द्वारा ऑर्डर पास हो जाने पर अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. टारून वैडिंग समिति के निर्णय पर अपील :-

(1) वैडिंग या रद्दीकरण या निलम्बन के वैडिंग के प्रमाण-पत्र के संबंध में टारून वैडिंग समिति के किसी निर्णय के विरुद्ध धारा 11 के अन्तर्गत आदेश की सूचना की तिथि से तीस दिनों के अन्दर फार्म "ग" में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील की जा सकेगी;

बशर्ते कि अपील प्राधिकरण मामले में विलम्ब को माफ कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदन को तरजीह देने की आवेदक के पास बचने के पर्याप्त कारण हैं।

- (2) अपील फार्म "ग" में ज्ञापन के रूप में होगी और अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी और इसे व्यक्तिगत रूप से या अपने द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। अपील के ज्ञापन के साथ आदेश की मूल या सत्यापित प्रति संलग्न होगी, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है।
- (3) तीन सेट में अपील दायर की जाएगी और दो सौ रुपये केवल शुल्क के रूप में देने होंगे।
- (4) किसी ऐसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा जिसकी प्रति टारुन वैडिंग समिति को पहले से ही दी गई है और उसे ही दायर किया जा रहा हो। अपील के ज्ञापन के साथ आदेश की मूल या सत्यापित प्रति संलग्न की जाएगी, यदि कोई हो, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है।

11. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपीलों के निपटान की प्रक्रिया :-

- (1) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण की ओर से प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए रखे रजिस्टर में अपील की प्रविष्टि करेगा, जिस पर तिथि अंकित होगी।
- (2) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील को प्रस्तुत किया जाएगा जोकि अपील की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित करेगी और पक्षकारों को सुनवाई की सूचना जारी करवाएगी।
- (3) अपीलीय प्राधिकरण, पक्षकारों द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किये गए अनुरोध पत्रों और प्रकरण के अभिलेख के आधार पर तथा अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली क्षेत्रीय जाँच के आधार पर, यदि कोई हो, यथोचित ऐसा आदेश पारित करेगी और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपील की प्राप्ति की तिथि से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर अपील के आदेश की पुष्टि, संशोधन या रद्द करेगा।

अध्याय-V

टारुन वैडिंग समिति

12. टारुन वैडिंग समिति का गठन :-

- (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में सरकार द्वारा एक टारुन वैडिंग समिति गठित की जाएगी।

बशर्ते कि सरकार यदि आवश्यक समझे तो संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के अनुरोध पर उनके अधिकार क्षेत्र के विनिर्देशन के बाद प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के लिए एक से अधिक टारुन वैडिंग समितियाँ गठित कर सकती है।

- (2) टारुन वैडिंग समिति का गठन मुख्यतः निम्न प्रकार होगा :-

36

क्र०	सरकारी विभाग/अन्य निकाय	सदस्यों की संख्या
(क)	सरकारी विभाग/निकाय	
i	चिकित्सा अधिकारी	01
ii	पथ निर्माण विभाग	01
iii	यातायात पुलिस	02
iv	पुलिस	02
v	स्थानीय प्राधिकरण (अध्यक्ष सहित)	06
(ख)	अन्य निकाय -	
vi	स्ट्रीट वैंडर	12
vii	बाजार/व्यापार संघ	01
viii	गैर सरकारी संगठन/सामुदायिक आधारित संगठन	03
ix	आवास कल्याण संघ	01
x	बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	01
	कुल-	30

2005 (31)
25/04/16 (3)

टाऊन वैंडिंग समिति के सदस्य, चयनित सदस्यों को छोड़कर नामांकन सरकार द्वारा किया जाएगा।

13. टाऊन वैंडिंग समिति के चयनित सदस्य से चुनाव :-

- (1) स्थानीय प्राधिकरण अधिसूचना जारी करके टाऊन वैंडिंग समिति के सदस्यों के लिए चुनाव संचालित करने के अपने आशय को प्रकट करेगा, जो संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्र के स्ट्रीट वैंडरों का प्रतिनिधित्व करेगा।
- (2) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण, टाऊन वैंडिंग समिति के सदस्यों के चुनाव को संचालित करने के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा, जो संबंधित प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्र के स्ट्रीट वैंडरों का प्रतिनिधित्व करेगा।

14. स्ट्रीट वैंडरों में से टाऊन वैंडिंग समिति के सदस्यों के चयन का तरीका :-

- (1) नियम 14 के उपनियम 2 के अन्तर्गत नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी इन नियमों के साथ अनुसूची 1 के अन्तर्गत उपलब्ध तरीके से स्ट्रीट वैंडरों के बीच में से टाऊन वैंडिंग समिति के सदस्यों के लिए चुनाव संचालित करेगा।
- (2) मोबाईल विक्रेता, स्टेशनरी विक्रेता या स्ट्रीट वैंडर को टाऊन वैंडिंग समिति के लिए चयन हेतु अयोग्य ठहराया जा सकता है, यदि
 - (i) कोई ऐसा अपराध किया हो, जिसमें नैतिक पतन शामिल हो,
 - (ii) यदि वह टाऊन वैंडिंग समिति के सदस्य के रूप में अपनी ड्यूटी शारीरिक एवं मानसिक रूप से करने में अक्षम हो।

K.K.K. / 16/04/16

X

- (3) चयनित सदस्यों के नाम स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सरकार को सूचित किए जाएंगे, नाम की प्राप्ति एवं अन्य नामित सदस्यों के नाम प्राप्त होने के उपरांत प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में टारुन वैडिंग समिति के गठन को अधिसूचित करेगी।

15. टारुन वैडिंग समिति की अवधि :-

- (1) अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत गठित टारुन वैडिंग समिति की अवधि इसके गठन की तिथि से 5 वर्ष होगी बशर्ते उसे इन नियमों के नियम 17 के अन्तर्गत जल्द भंग न किया गया हो -
- (2) टारुन वैडिंग समिति के गठन की प्रक्रिया को पूरा किया जाए :-
- (i) इसकी अवधि के समापन से पूर्व, या
- (ii) इसके भंग होने की तिथि से 6 माह की अवधि के समापन से पूर्व।

16. टारुन वैडिंग समिति के सदस्य का निष्कासन :-

यदि सरकार का मत है कि टारुन वैडिंग समिति का कोई सदस्य अधिनियम के अन्तर्गत या उसे सौंपी गई ड्यूटी के निष्पादन में निरंतर गलतियां कर रहा है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है तो सरकार आदेश जारी करके समिति से ऐसे सदस्य को निष्कासित कर सकती है।

बशर्ते कि, ऐसे सदस्य को निष्कासन से पूर्व सुनने का उचित अवसर दिया गया हो।

17. टारुन वैडिंग समिति को भंग करना :-

यदि सरकार का मत है कि अधिनियम के अन्तर्गत या इसके अन्तर्गत बनाए गए, नियमों या द्वारा समिति को सौंपी गई ड्यूटी के निष्पादन में निरंतर गलतियां कर रही है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है तो सरकार आदेश जारी कर ऐसी टारुन वैडिंग समिति को भंग कर सकती है और नई टारुन वैडिंग समिति गठित कर सकेगी।

18. टारुन वैडिंग समिति के सदस्यों के भत्ते :-

टारुन वैडिंग समिति के ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने कार्यालय में लाभ का पद नहीं लिया है, टारुन वैडिंग समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए केवल एक हजार रुपये की दर से या समय-समय पर संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नियत दर से भत्ता अनुमान्य होगा।

19. टारुन वैडिंग समिति की बैठकें :-

- (1) सामान्यतः टारुन वैडिंग समिति तीन माह की अवधि के अन्दर एक बैठक या इसके कार्य संचालन के लिए टारुन वैडिंग समिति के अध्यक्ष के निर्णय से किसी भी अंतराल में आयोजित की जा सकती है,

370

बशर्ते कि धारा 22 के अन्तर्गत टारुन वैडिंग समिति के गठन के बाद इस-का प्रथम बैठक 45 दिनों के अन्दर अध्यक्ष द्वारा संचालित की गई हो।

- (2) टारुन वैडिंग समिति की बैठक स्थानीय प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय या ऐसे स्थल पर की जानी चाहिए, जो स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्राधिकारी के अन्दर हो, जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया गया हो।
20. टारुन वैडिंग समिति के कार्य संचालन की प्रक्रिया :-
- (1) सदस्यों के साथ विचार-विमर्श कर अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य संचालन के लिए टारुन वैडिंग समिति ऐसी प्रक्रिया अपनाएगी।
- (2) अधिनियम तथा इन नियमों तथा उप-नियमों के तहत प्रावधानों के अनुरूप, सामान्य बहुमत द्वारा टारुन वैडिंग समिति के बैठक में पारित सामान्य समाधान तथा विशेष समाधान के मामले में टारुन वैडिंग समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित हों और बैठक में मतदान हो।
21. टारुन वैडिंग समिति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

अधिनियम के किसी अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक टारुन वैडिंग समिति मुख्यतः निम्न कार्य करेगी :-

- 2008 (अप)
05/04/16 (क)
- (क) अपने कार्यक्षेत्र के क्षेत्र में करवाना ताकि क्षेत्र में स्ट्रीट वैंडर्स की पहचान की जा सके और अपने कार्यक्षेत्र के क्षेत्र में मानदण्ड, प्लान एवं क्षमता के अनुरूप उनको स्थान सुनिश्चित कराना।
- (ख) निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप स्ट्रीट वैंडर से वचनबद्ध लेने के बाद योग्य स्ट्रीट वैंडरों को वैडिंग का प्रमाण-पत्र जारी करना, बशर्ते वैडिंग के प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए वैडिंग प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, टारुन वैडिंग समिति वहीं प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो अधिनियम की धारा 38 (1) के अन्तर्गत निर्धारित योजना में विनिर्दिष्ट है।
- (ग) उन पथ विक्रेताओं के विक्रेता प्रमाण-पत्र रद्द करना या निलंबित करना, जो शर्तों या अन्य किसी निबंधन को भंग करने की कोशिश करता है और अधिनियम या अन्य नियमों या अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित योजना के अन्तर्गत रेगुलेटिंग स्ट्रीट वैंडिंग के लिए विशेष शर्तों का उल्लंघन करता है, जहाँ टारुन वैडिंग समिति संतुष्ट है कि वैडिंग के ऐसे प्रमाण पत्र स्ट्रीट वैंडरों द्वारा मिथ्या कथन या धोखे से प्राप्त किए गए हैं,
- (घ) टारुन वैडिंग समिति को अपने क्षेत्राधिकार के किसी क्षेत्र को नॉन वैडिंग क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने के लिये शहरी स्थानीय निकाय को संस्तुति करना,
- (ङ) वैडिंग एवं हॉकिंग के लिए साईट एवं स्पेस की पहचान करना,

K. K. K. K.

X

- (च) वैडिंग के लिए समय नियत करना ताकि सार्वजनिक स्थान में भीड़-भाड़ को कम किया जा सके,
- (छ) पथ विक्रेताओं द्वारा अवज्ञा के विरुद्ध सुधारात्मक प्रक्रिया को लागू करना,
- (ज) विवाद निवारण समिति तथा शहरी स्थानीय निकाय के समक्ष लम्बित विवाद के मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई,
- (झ) पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को बढ़ावा देने की योजना तैयार कर शहरी स्थानीय निकाय को सिफारिशें प्रस्तुत करना,
- (ञ) बैठकें आयोजित करना और इसके कार्य को प्रभावी रूप से निष्पादन करने के लिए उचित निर्णय लेना,
- (ट) अधिनियम के प्रावधानों को निपटाने के लिए सहायता या सलाह प्राप्त करने के लिए अस्थायी तौर पर स्वयं तकनीकी एवं व्यावसायिक व्यक्तियों से सहायता लेना,
- (ठ) पथ विक्रेताओं का वार्टर प्रकाशित करना, जिसमें यह उल्लेख हो कि पथ विक्रेताओं को विक्रेता प्रमाण-पत्र किस समय के दौरान जारी किया जाएगा और वैडिंग के प्रमाण पत्रों का किस समय नवीकरण किया जाएगा और अन्य गतिविधियों की समय सीमा का भी इसमें उल्लेख किया जाए।
- (ड) पंजीकृत पथ विक्रेताओं तथा पथ विक्रेताओं के रिकार्ड अद्यतन करना अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वैडिंग प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं,
- (ढ) अधिनियम या इन नियमों या इसके तहत बनाई गई योजना के अन्तर्गत इसके क्रियाकलापों का सामाजिक लेखा परीक्षा करना,
- (ण) सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण को समय-समय पर ऐस रिटर्न प्रस्तुत करना जैसा कि अधिनियम तथा इन नियमों में उल्लिखित है,
- (त) पथ विक्रेताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपाय जैसे क्रेडिट, इश्योरेंस तथा अन्य जनकल्याण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विचार प्रस्तुत करना,
- (थ) अर्थव्यवस्था में पथ विक्रेताओं की भूमिका के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु सरकार की सहायता करना, और
- (द) अधिनियम तथा इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसे अन्य कार्यक्रम आयोजित करना जो शहरी स्थानीय निकाय तथा सरकार द्वारा टाऊन वैडिंग समिति को सौंपे गए हैं।

22. विशेषज्ञ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए टाऊन वैडिंग समिति की शक्ति :-

332

- (1) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत टाऊन वैंडिंग समिति किसी भी ऐसे ख्याति प्राप्त उपयुक्त व्यक्ति की सहायता ले सकती है। पथ विक्रेताओं से संबंधित मामलों पर तकनीकी या व्यवसायिक सलाह विशेषज्ञ के रूप में प्राप्त की जा सकती है और जिसे इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव हो।
- (2) उप नियम (1) के अन्तर्गत जिस व्यक्ति से विशेषज्ञ के रूप में सहायता ली जाएगी उसके चयन की प्रक्रिया साफ एवं पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए जैसा कि सरकारी विभागों में तकनीकी या व्यवसायिक विशेषज्ञों के रूप में परामर्शदाता एवं विशेषज्ञ का होता है।
- (3) उप नियम (1) के तहत विशेषज्ञ के रूप में सम्बद्ध व्यक्ति को शहरी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

23. टाऊन वैंडिंग समिति के कर्मचारी :-

संबंधित स्थानीय प्राधिकरण सरकार से पूर्वानुमोदन के बाद जब टाऊन वैंडिंग समिति द्वारा इस प्रकार अनुरोध किया जाएगा, तो समिति को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे जैसाकि स्थानीय प्राधिकरण इन नियमों के नियम 21 द्वारा टाऊन वैंडिंग समिति पर सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

24. टाऊन वैंडिंग समिति द्वारा स्ट्रीट वैंडरों के रिकार्ड के अनुरक्षण का तरीका :-

प्रत्येक टाऊन वैंडिंग समिति अधिनियम की धारा 38 (1) के अन्तर्गत योजना में निर्धारित अनुरूप में रिकार्ड को अद्यतन रखेगी जोकि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फार्म या मैनुअली या दोनों रूपों में निर्णय लिया जा सकता है।

अध्याय-VI

विविध

25. टाऊन वैंडिंग समिति द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करना :-

- (1) प्रत्येक टाऊन वैंडिंग समिति प्रत्येक वर्ष मुख्यतः निम्न आवधिक रिटर्नस तैयार करके सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी :-

(i) सर्वेक्षण :-

- (क) वर्ष के दौरान सर्वेक्षण किए गए पथ विक्रेताओं की संख्या,
- (ख) सर्वेक्षण के समापन के तिथि के साथ क्षेत्र एवं वार्ड के नाम जहाँ सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है,
- (ग) उस क्षेत्र एवं वार्ड का नाम जहाँ सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है तथा सर्वेक्षण प्रारंभ करने की तिथि एवं समापन की संभावित तिथि,

12/1/14
12/1/14

(घ) वर्ष के अन्तिम दिन के अनुसार वार्डानुसार पंजीकृत पथ विक्रेताओं की संख्या,

(II) वैडिंग के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदनों की प्राप्ति एवं निपटान :-

(क) वर्ष के दौरान वैडिंग के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों (वार्डानुसार) की संख्या,

(ख) वर्ष के दौरान निपटान किए गए आवेदनों (वार्डानुसार) की संख्या, जिनका-

(i) प्राप्त आवेदनों की संख्या :-

(ii) अस्वीकार किए गए आवेदनों की संख्या,

(iii) वर्ष के अन्तिम दिन के अनुसार लम्बित आवेदनों की संख्या।

(III) वैडिंग के प्रमाण पत्र के निलम्बन के मामले :-

(क) ऐसे मामलों की संख्या जहाँ वर्ष के दौरान वैडिंग के प्रमाण पत्र के निलम्बन के लिए कार्रवाई की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान निपटान किए गए निलम्बन के मामलों की संख्या जहाँ-

(i) वैडिंग के प्रमाण पत्र की संख्या जहाँ निलम्बन हुआ है,

(ii) बन्द किए गए मामलों की संख्या और निरंतर वैडिंग के प्रमाण पत्र,

(iii) वर्ष के अन्तिम दिन तक लम्बित पड़े मामलों की संख्या,

(IV) वैडिंग के प्रमाण पत्र के निलम्बन के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन :-

(क) वर्ष के दौरान प्राप्त वैडिंग के प्रमाण पत्र के निलम्बन के प्रतिसंहरण के लिए आवेदनों की संख्या,

(ख) उपरोक्त (क) पर प्राप्त आवेदनों की संख्या, जिनका वर्ष के दौरान निपटान किया गया-

(i) आवेदनों की संख्या जहाँ निलम्बन का प्रतिसंहरण किया गया और वैडिंग के प्रमाण पत्र, जिनका पुनः विधि मान्यकरण किया गया,

(ii) बन्द मामलों की संख्या और निलम्बन जारी है,

314

- (ग) वर्ष की अन्तिम तिथि पर निलम्बन के प्रतिसंहरण के लिए आवेदनों की संख्या,
- (V) वैडिंग के प्रमाण पत्र के रद्दीकरण के मामले -
- (क) वर्ष के दौरान वैडिंग के प्रमाण पत्र के रद्दीकरण के लिए कार्रवाई प्रारंभ किए गए मामलों की संख्या,
- (ख) वर्ष के दौरान वैडिंग के प्रमाण पत्र के रद्दीकरण के मामलों के निपटान की संख्या-
- (i) रद्द किए गए वैडिंग के प्रमाण पत्रों की संख्या,
- (ii) बन्द मामलों तथा निरंतर प्रमाण पत्रों की संख्या,
- (VI) वर्ष के दौरान टारुन वैडिंग समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या-
- (VII) वार्ड, क्षेत्र/कॉलोनी, सड़क, वैडिंग जोन का मानचित्र तथा होल्डिंग क्षमता जैसे विवरण सहित पहचान किए गए वैडिंग जोन की वार्डानुसार सूची-
- (VIII) पंजीकृत पथ विक्रेताओं की वार्डानुसार संख्या, जिन्हें अधिसूचित वैडिंग जोन में जगह दी गई है-
- (IX) अन्य गतिविधियाँ -
- (क) वर्ष के दौरान इनकी संचालित गतिविधियाँ का सामाजिक लेखा परीक्षा,
- (ख) वर्ष के दौरान पथ विक्रेताओं को उपलब्ध कराए गए क्रेडिट, इंश्योरेंस तथा सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याण योजनाओं के संवर्धन के उपाय,
- (ग) अर्थव्यवस्था में पथ विक्रेताओं की भूमिका के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष के दौरान उठाए गए कदम।
- (2) मामले के अनुसार सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, कि समय-समय पर यथावश्यक ऐसे प्रोफार्मा में अन्य रिटर्न या रिटर्नस टारुन वैडिंग समिति को प्रस्तुत करे जो कि आवश्यक है।

26. समाचार पत्रों इत्यादि में अधिसूचित योजना के सार का प्रकाशन :-

- (1) अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत द्वितीय अनुसूची में सरकार द्वारा अधिसूचित योजना का सार प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के नगर आयुक्त द्वारा प्रभावित होने वाले अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र या इलाके में व्यापक रूप से प्रसिद्ध इलाके के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना देकर प्रकाशित कराया और परिचालित कराया जायेगा।

K.N.K.

1/10/14

1/10/14

375

- (2) सूचना स्थानीय प्राधिकरण को नगर आयुक्त द्वारा या उसके ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
- (3) सूचना ऐसी भाषा या भाषाओं में होगी या भाषा स्थानीय प्राधिकरण के नगर आयुक्त के अनुसार होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0/शंस्था०नि०(नियमावली)/न०वि०-17/2015.2005(अ०)राँची,दि०-25/04/16

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0/शंस्था०नि०(नियमावली)/न०वि०-17/2015.2005(अ०)राँची,दि०-25/04/16

प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, शहरी विकास अभिकरण/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सभी स्थानीय नगर निकायों के महापौर, अध्यक्ष/सभी नगर निकाय/प्राधिकार, झारखण्ड/सभी पदाधिकारी, नगर विकास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

376

अनुसूची -1

(नियम 14 देखें)

पथ विक्रेताओं की प्रतिनिधि टारुन वैडिंग समिति के अपने अधिकार क्षेत्र में सदस्यों के चुनाव आयोजन करने की प्रक्रिया :-

1. संबंधित स्थानीय प्राधिकरण स्ट्रीट वैंडर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली टारुन वैडिंग समिति के अधिकार क्षेत्र में सदस्यों के चुनाव का पर्यवेक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण करेगी।
2. जब भी स्थानीय प्राधिकरण स्ट्रीट वैंडर्स की प्रतिनिधित्व करने वाली टारुन वैडिंग समिति के सदस्यों का चुनाव कराने के इरादे की अधिसूचना नियम 13 के उप नियम (1) के अन्तर्गत जारी होती है तथा उसके उप नियम (2) के अन्तर्गत चुनाव आयोजन के लिए रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति होती है, शहरी स्थानीय निकाय समाधान पारित करके चुनाव की तिथि, समय तथा स्थान का सुनिश्चयन करेगी।
3. स्थानीय प्राधिकरण के समाधान/निर्णय की सूचना स्ट्रीट वैडिंग व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रीय वैंडर्स में निम्नलिखित साधनों से परिचालित करेगी, अर्थात् :-
 - (क) हिन्दी, अंग्रेजी या ऐसी अन्य भाषा में, जिसे शहरी स्थानीय निकाय उचित समझे, के मुख्य समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करके,
 - (ख) स्थानीय सूचना देकर,
 - (ग) रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से,
 - (घ) ऐसी स्पीड पोस्ट या कोरियर सेवा, जो सक्षम प्राधिकरण के पास पंजीकृत हो तथा रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाकर जिसमें निम्नलिखित के विषय में सूचना होगी :-
 - (i) चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या, जिसमें अनुसूचित जातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं, विकलांगों, अल्पसंख्यकों या किसी अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों के प्रतिनिधियों के आरक्षित स्थान,

1/1/2014

1/1/2014

1/1/2014

- (ii) नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि, उसका स्थान तथा दाखिल करने का समय तथा यह तिथि चुनाव के लिए निश्चित तिथि से स्पष्ट सात दिन होनी चाहिए या यदि यह दिन सार्वजनिक अवकाश है, तो अगला दिवस जो सार्वजनिक अवकाश न हो,

स्पष्टीकरण :-

“सार्वजनिक अवकाश” शब्द का अर्थ है कोई दिवस जो परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का केन्द्रीय अधिनियम xxvi) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश या कोई दिवस, जिसे सरकारी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है,

- (iii) नामांकन पत्रों की जाँच की तिथि तथा समय,
(iv) मतदान की तिथि, स्थान तथा समय।

4. स्थानीय प्राधिकरण टारुन वैडिंग समिति के अधिकार क्षेत्र में स्ट्रीट वैडिंग व्यवसाय-से-सले क्षेत्रीय स्ट्रीट वैडरों की सूची तैयार करेगी जो नामांकन आमंत्रित करने के लिए निश्चित तिथि से तीस दिनों पूर्व होगी तथा उसे टारुन वैडिंग समिति के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, नामांकन आमंत्रित करने की तिथि से दस दिन पूर्व लगाएगी। इस सूची में वैडिंग की पंजीकरण संख्या/प्रमाण पत्र तथा स्ट्रीट वैडर का नाम, उसके पिता या पति, जैसी भी स्थिति हो, का नाम तथा पथ विक्रेता का पता दिया जायेगा। स्ट्रीट वैडरों की अद्यतन रजिस्टर तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यथापेक्षित अन्य रजिस्टर तैयार करना टारुन वैडिंग समिति या शहरी स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, की ड्यूटी होगी। वह यथापेक्षित रजिस्टर भी रिटर्निंग अधिकारी को देगा तथा रिकार्ड रजिस्टर आदि चुनाव के लिए नियम तिथि से 30 दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को सौंपेगा। टारुन वैडिंग समिति या स्थानीय प्राधिकरण या रिटर्निंग अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दी गई सूची की एक प्रति देगा। स्ट्रीट वैडर को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान करने पर प्रति दी जाएगी।
5. चुनाव के प्रत्याशियों का नामांकन फार्म-1 में किया जाएगा। यह फार्म (इस अनुसूची के साथ फार्म-1 संलग्न है) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निःशुल्क किसी पथ विक्रेता दिया जायेगा।

6. प्रत्याशी नामांकन पत्र के साथ 2000 रुपये की प्रतिभूति नकद जमा करेगा या इसके लिए बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर देगा। यदि प्रत्याशी झाले गए मतों में से 1/6 से कम मत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो शहरी स्थानीय निकाय के पास उसकी प्रतिभूति राशि जब्त हो जाएगी।
7. प्रत्येक नामांकन पत्र प्रत्याशी द्वारा स्वयं या उसके प्रस्ताविक या अनुमोदनकर्ता द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को दिया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र पर उसकी क्रम संख्या लिखेगा तथा प्राप्त किए गए नामांकन पत्र, प्राप्ति की तिथि तथा समय प्रमाणित करते हुए टारुन बैंडिंग समिति/रिटर्निंग अधिकारी की मुहर लगाकर नामांकन पत्र की लिखित पावती तत्काल प्रदान करेगा। नामांकन पत्र के लिए निश्चित तिथि एवं समय या उससे पहले प्राप्त न होने वाले नामांकन पत्रों को निरस्त किया जाएगा।
8. (i) रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र प्राप्ति के लिए निश्चित तिथि से अगले दिन नामांकन पत्रों की जाँच करवाएगा।
- (ii) रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों का परीक्षण करते हुए किसी नामांकन के विषय में किसी व्यक्ति द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय करेगा तथा उस आरोप पर या अपनी तरफ से और जैसा रिटर्निंग अधिकारी आवश्यक समझे संक्षिप्त जाँच करके किसी नामांकन को रद्द कर सकता है।
- उपबंध है कि किसी प्रत्याशी के नामांकन पत्र को केवल इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि उसके नाम या उसके प्रस्तावक का नाम या उसके अनुमोदनकर्ता का नाम प्रत्याशी या उसके प्रस्तावक या उसके अनुमोदक का खण्ड 4 में उल्लिखित पथ विक्रेता की सूची में प्रविष्ट कोई विवरण सही नहीं था। यदि प्रत्याशी, प्रस्तावक या अनुमोदनकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, की पहचान संदेह से परे सिद्ध हो जाती है।
- (iii) रिटर्निंग अधिकारी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी या प्रस्तावक या अनुमोदनकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, को सभी नामांकन पत्रों की जाँच करने तथा इस बात के लिए आश्वस्त होने के लिए सभी समुचित सुविधाएँ देगा कि प्रत्याशी के नाम को शामिल किया जाना वैध है।

- (iv) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने, जैसी भी स्थिति हो, के निर्णय की पुष्टि करेगा यदि नामांकन पत्र अस्वीकृत किया गया है, तो अस्वीकृत करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण लिखित रूप से रिकार्ड करेगा।
- (v) रिटर्निंग अधिकारी किसी प्रकार कार्यवाही के स्थगन की अनुमति नहीं देगा, सिवाय जब इस प्रक्रिया में दंगे या उपद्रव से या उसके नियंत्रण से बाहर कारणों से इसमें व्यवधान या रुकावट आ जाए।
9. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णय की गई वैध नामांकनों की सूची उनके अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार उसी दिन जब नामांकन पत्रों की जाँच पूरी हो जाती है, प्रदर्शित/प्रकाशित करवाएगा।
10. कोई प्रत्याशी वैध नामांकनों के प्रकाशन के दिन से अगले दिन भौंच बजे से पहले परन्तु किसी भी समय अपने नामांकन पत्र जमा करने के पश्चात् व्यक्तिगत रूप से स्वहस्ताक्षरित नोटिस टाऊन वैडिंग समिति के रिटर्निंग अधिकारी को देकर अपनी उम्मीदवारी को वापस ले सकता है। उम्मीदवारी को वापस लेने की सूचना देने पर इसे अपरिवर्तनीय माना जाएगा।
11. यदि जिन प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध घोषित किए गए हैं, उनकी संख्या चयनित किए जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या से अधिक नहीं है, तो रिटर्निंग अधिकारी उन सभी प्रत्याशियों का नाम घोषित करते हुए उक्त खण्ड 10 के अधीन नामांकन वापस लेने के दिन पर समय समाप्त होने के पश्चात् टाऊन वैडिंग समिति के लिए उन सभी प्रत्याशियों का नाम घोषित करते हुए उन्हें विधिवत् निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि वैध नामांकन वाले प्रत्याशियों की संख्या चुने जाने वाली संख्या से अधिक है, तो रिटर्निंग अधिकारी इस निर्वाचन के लिए निश्चित तिथि को मतदान करवाने की व्यवस्था करेगा। रिटर्निंग अधिकारी मतदान कराने के लिए एक या अधिक, जैसा आवश्यक हो, मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा। प्रयोग किए जाने वाले मतपत्र इस अनुसूची के साथ संलग्न फार्म-2 में यथा निर्धारित रूप में होंगे।
12. स्थानीय प्राधिकरण रिटर्निंग अधिकारी को मतपेटियाँ, मतपत्र, पथ विक्रेताओं/मतदाताओं की सूची की प्रति तथा चुनाव संचालन के लिए यथावश्यक अन्य समान प्रदान करेगा। मतपेटी इस प्रकार से निर्मित की जाएगी कि उनमें मतपत्र डाला जा सके परन्तु पेटी का ताला खोले बिना बाहर न निकाला जा सके। चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी रिटर्निंग अधिकारी को एक पत्र देकर उसके प्रतिनिधि के रूप में जहाँ मतदान हो रहा है, मतदाताओं की

380

पहचान करने के लिए तथा मतों की रिकॉर्डिंग की निगरानी करने के लिए अपना एजेंट नियुक्त कर सकता है। इस पत्र में संबंधित एजेंट की लिखित सहमति इस अनुसूची के साथ संलग्न फॉर्म-3 में होनी चाहिए।

13. किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव के स्थान पर मतदान के लिए प्रचार का निषेध होगा।
14. मतदान शुरू होने से तत्काल पहले रिटर्निंग अधिकारी उस समय उपस्थित व्यक्तियों को खाली मतदान पेट्टी दिखाकर फिर उस पर ताला लगाएगा तथा अपनी मुहर लगाएगा। यदि प्रत्याशी या उसका एजेंट चाहता है, तो वह भी अपनी मुहर लगा सकता है।
15. प्रत्येक पथ विक्रेताओं/मतदाता, जो मतदान करना चाहता है उसे मतपत्र दिया जाएगा, जिस पर अंग्रेजी वर्णानुक्रम से प्रत्याशियों के नाम सुविधानुसार मतपत्र पर छपे हुए/टाइप किए हुए या साइक्लोस्टाइल होंगे। मतपत्र पर टाऊन वैडिंग समिति की मुहर होगी और रिटर्निंग अधिकारी के आदक्षर होंगे और इसमें मतदाता के लिए एक कॉलम होगा जिसमें मतदाता जिसे मत देना चाहता है, उस व्यक्ति के नाम के सामने चिह्न (X) अंकित करेगा।
16. प्रत्येक मतदान केन्द्र में तथा जहां एक केन्द्र पर एक से अधिक मतदान बूथ हैं, ऐसे प्रत्येक बूथ में अलग ऐसा कम्पार्टमेन्ट होगा, जिसमें स्ट्रीट वैडर/मतदाता गुप्त रूप से अपना मत दर्ज कर सकता है।
17. किसी पथ विक्रेता/मतदाता को तब तक मतपत्र नहीं दिया जाएगा, जब तक मतदान अधिकारी संतुष्ट नहीं है कि संबंधित पथ विक्रेता/मतदाता वही व्यक्ति है, जो उसे दी गई सूची में दर्ज है। मतपत्र प्राप्त होने पर पथ विक्रेता/मतदाता मतदान के लिए अलग से बनाए गए कम्पार्टमेन्ट में जाएगा और प्रत्याशी या प्रत्याशियों, जैसी भी स्थिति हो, के नाम के आगे (X) का चिह्न लगाकर व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में अपना मत अंकित करेगा और रखी गयी मत पेट्टी में अपना मतपत्र अत्यन्त गोपनीयता से डालेगा। यदि दृष्टिहीनता या शारीरिक अक्षमता या निरक्षरता के कारण पथ विक्रेता/मतदाता मतपत्र पर निशान अंकित करने में असमर्थ है, तो मतदान अधिकारी और जहाँ मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं हैं, वहाँ रिटर्निंग अधिकारी उससे उस प्रत्याशियों के बारे में सुनिश्चित करेगा, जिसके पक्ष में वह वोट डालना चाहता है और उसकी तरफ से (X) का निशान अंकित करेगा और मतपेट्टी में मतपत्र डालेगा।

K.K.K. M.F.

18. यदि मतदान के किसी चरण में, चुनाव प्रक्रिया में दंगे या उपद्रव के कारण कोई रुकावट या बाधा पहुँचती है और यदि किसी पर्याप्त कारण से वहाँ चुनाव करवाना संभव नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी को मतदान रोकने का अधिकार होगा और उन कारणों को टारुन वैडिंग समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज करेगा।
19. किसी भी पथ विक्रेता/मतदाता को मतदान के लिए नियत समय के पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जाएगा, केवल उस मतदाता को ही मतदान का अधिकार होगा, जो मतदान समय समाप्त होने से पहले परिसर में प्रवेश कर चुका है, जहाँ मतपत्र प्रदान किए जा रहे हैं, उसे मतपत्र दिया जाएगा तथा मतदान की अनुमति दी जाएगी।
20. मतदान समाप्त होने पर तत्काल मतगणना की जाएगी। यदि ऐसा संभव नहीं है तो मतपेटियों को रिटर्निंग अधिकारी की मुहर से सील किया जाएगा और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी या उनके एजेंट, यदि चाहें तो स्थानीय प्राधिकरण की मुहर से सील किया जायेगा और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी या उसके एजेंट यदि चाहे तो स्थानीय प्राधिकार की मुहर से सील किया जाएगा और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी या उनके एजेंट चाहें तो स्थानीय प्राधिकार के पास सुरक्षित अभिरक्षा में जमा करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी अगले दिन मतगणना किए जाने की घोषणा करेगा। मतगणना रिटर्निंग अधिकारी के पर्यवेक्षण में या उसके द्वारा की जाएगी। प्रत्येक प्रत्याशी या उसका अधिकृत एजेंट को मतगणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा। प्रत्येक प्रत्याशी या उसके अधिकृत एजेंट को मतगणना के समय अनुपस्थित से मतगणना तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा प्रभावित नहीं होगी। प्रत्येक प्रत्याशी को डाले गए मतों की संख्या तथा चुनाव परिणाम की घोषणा, मतगणना समाप्ति के तुरन्त बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी।
21. चुनाव परिणाम टारुन वैडिंग समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज करके उसका सत्यापन रिटर्निंग अधिकारी करेगा और तत्काल टारुन वैडिंग समिति के नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित भी करेगा।
22. मतों की बराबरी रहने पर रिटर्निंग अधिकारी सिक्का उछालकर चुनाव परिणाम की घोषणा करेगा।
23. रिटर्निंग अधिकारी किसी मतपत्र को रद्द कर सकता है, यदि -

(i) उस पर ऐसा निशान लगा है पथ विक्रेता के मत को पहचाना जा सके।

- 357
- (ii) इस पर टाऊन वैडिंग समिति की मुहर या रिटर्निंग अधिकारी के आद्यक्षर न हो।
 - (iii) मत का निशान इस रूप में लगाया गया है कि संदेह पैदा हो जाए कि किस प्रत्याशी को मत डाला गया है।
 - (iv) मतपत्र इतना खराब या विकृत हो गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी पहचान नहीं की जा सकती।

24. चुनाव परिणाम की घोषणा के पश्चात् चुनाव परिणाम तथा उस पर एक रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणामों की घोषणा के तीन दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकरण तथा सरकार को दी जाएगी।
25. चुनाव परिणाम की घोषणा के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों तथा टाऊन वैडिंग समिति के सदस्यों के चुनाव संबंधी दस्तावेज स्थानीय प्राधिकरण को सील बन्द लिफाफे में देगा। ये स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चुनाव की तिथि से छह माह की अवधि के लिए या चुनाव संबंधी दायर किए गए किसी विवाद (यदि कोई है) के निपटान तक, जो भी बाद में हो, सुरक्षित रूप से संरक्षित रखा जाएगा। इसके पश्चात् स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इसे नष्ट कर दिया जाएगा तथा चुनाव अभिलेख की सुपुदगी और प्राप्ति की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

[Handwritten signature]

383

अनुसूची -1
(नियम 14 देखें)

फार्म - 1

टाऊन वैंडिंग समिति के सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन प्रपत्र

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,

टाऊन वैंडिंग समिति

महोदय,

मैं पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री टाऊन वैंडिंग समिति के अधिकार क्षेत्र में दुकान लगाता हूँ (वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं०) एतद् द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी जो श्री की पत्नी/पुत्र/पुत्री है का नाम प्रस्तावित करता हूँ तथा वह उक्त टाऊन वैंडिंग समिति का स्ट्रीट वैंडर है (वैंडर का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं०)/यह प्रस्ताव उक्त समिति के सदस्य के दिनांक को होने वाले चुनाव के प्रत्याशी के लिए है।

प्रस्तावक का नाम और हस्ताक्षर

वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं०

मैं पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री की टाऊन वैंडिंग समिति को जिसका पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं० है इसके द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

समर्थक का नाम और हस्ताक्षर

पंजीकरण/प्रमाण पत्र संख्या

प्रत्याशी की घोषणा

मैं पत्नी/पुत्र/पुत्री/ श्री जिसका टाऊन वैंडिंग समिति का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं० है इसके द्वारा स्थान की वैंडिंग समिति के सदस्य के चुनाव के लिये अपने नामांकन पर सहमत हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि :-

- मैं उक्त टाऊन वैंडिंग समिति का कर्मचारी हूँ
- मैं मतदान के लिए पात्र हूँ
- उक्त टाऊन वैंडिंग समिति के सदस्य के चुनाव हेतु पटरी दुकानदार (पटरी दुकानदार आजीविका संरक्षण एवं विनियमन अधिनियम, 2014 का केन्द्रीय अधिनियम 07) तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए झारखण्ड स्ट्रीट वैंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अयोग्यता के अन्तर्गत नहीं आता।

प्रत्याशी का नाम और हस्ताक्षर

वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं०

385

अनुसूची-1
(नियम 14 देखें)

फार्म-3

(अनुसूची 1 का खंड 12)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री स्ट्रीट वेंडर, जिसका वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं० है, टाऊन वैंडिंग समिति के अधिकार क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर हूँ तथा उक्त समिति के सदस्य का चुनाव प्रत्याशी हूँ, एतद् द्वारा उक्त टाऊन वैंडिंग समिति के सदस्यों के दिनांक का होने वाले चुनाव में निम्नलिखित व्यक्तियों को अपने चुनाव एजेन्ट/काउंटिंग एजेन्ट के रूप में नामांकित करता हूँ :-

प्रत्याशी का नाम और हस्ताक्षर
वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण सं०

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री/श्री
पता
चुनाव एजेन्ट/काउंटिंग एजेन्ट बनना चाहता हूँ।

एजेन्ट का नाम तथा हस्ताक्षर

फार्म "क"
(नियम 7 देखें)

स्ट्रीट वेंडर्स के शिकायत निवारण या विवाद के समाधान के लिये शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति को आवेदन

1.	आवेदक का नाम और पता	
2.	पंजीकरण संख्या/केस संख्या/आईडी संख्या	
3.	वैंडिंग का स्थान - (अवस्थिति, जोन, वार्ड आदि का पूरा विवरण दें)	
4.	वैंडिंग का स्वरूप (उपयुक्त पर निशान लगाए) (क) स्टेशनरी : (ख) मोबाइल : (ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य कृपया श्रेणी विनिर्दिष्ट करें)	(क) <input type="text"/> (ख) <input type="text"/> (ग) <input type="text"/>
5.	वैंडिंग प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि (वैंडिंग प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें, यदि है तो)	
6.	शिकायत निवारण अथवा विवाद समाधान के लिए आधार (विस्तृत विवरण संलग्न करें, आवश्यकतानुसार पृष्ठ जोड़ें)	

आवेदक के हस्ताक्षर

386

घोषणा
मैं आवेदक श्री सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान :
दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :- कृपया आवेदन के साथ सभी संबंधित दस्तावेज लगाएं।

फार्म "ख"
(नियम 9 देखें)

शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के निर्णय के विरुद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अपील

1.	अपीलकर्ता का नाम और पता	
2.	पंजीकरण संख्या/केस संख्या/आईडी संख्या	
3.	वैडिंग का स्थान - (अवस्थिति, जोन, वार्ड आदि का पूरा विवरण दें)	
4.	वैडिंग का स्वरूप (उपयुक्त पर निशान लगाएँ) (क) स्टेशनरी : (ख) मोबाइल : (ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य कृपया श्रेणी विनिर्दिष्ट करें)	(क) <input type="text"/> (ख) <input type="text"/> (ग) <input type="text"/>
5.	समिति का निर्णय (विवाद निवारण समिति के निर्णय के प्रति लगाकर बताएं) (क) निर्णय संख्या, तथा (ख) निर्णय की तिथि	
6.	अपील का आधार (पूरा विवरण दें आवश्यकतानुसार अधिक पृष्ठ लगाएँ)	

घोषणा

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

मैं अपीलकर्ता श्री सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान :
दिनांक :

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

Kolkata
1/1/2014

387

नोट :- कृपया अपील के साथ सभी संबंधित दस्तावेज लगाएं।

फार्म "ग"
(नियम 10 देखें)

टाऊन वैंडिंग सभिते के निर्णय के विरुद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अपील

1.	अपीलकर्ता का नाम और पता	
2.	पंजीकरण संख्या/केस संख्या/आईडी संख्या	
3.	वैंडिंग का स्थान - (अवस्थिति, जोन, वार्ड आदि का पूरा विवरण दें)	
4.	वैंडिंग का स्वरूप (उपयुक्त पर निशान लगाएं) (क) स्टेशनरी : (ख) मोबाइल : (ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य कृपया श्रेणी विनिर्दिष्ट करें)	(क) <input type="text"/> (ख) <input type="text"/> (ग) <input type="text"/>
5.	वैंडिंग का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि (बिक्री के प्रमाण पत्र की प्रति लगाएं, यदि जारी है)	
6.	आदेश का स्वरूप, जिसके प्रति अपील है (उपयुक्त पर निशान लगाएं) (क) बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाना : (ख) बिक्री प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना : (ग) बिक्री प्रमाण पत्र निलम्बित किया जाना :	(क) <input type="text"/> (ख) <input type="text"/> (ग) <input type="text"/>
7.	अपील का आधार (पूरा विवरण दें आवश्यकतानुसार अधिक पृष्ठ लगाएं)	

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं अपीलकर्ता श्री सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान :

दिनांक :

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

नोट :- कृपया अपील के साथ सभी संबंधित दस्तावेज लगाएं।

फार्म-1	टाऊन वैंडिंग समिति के सदस्य के चुनाव के लिए नागांकन	नियम-14
फार्म-2	टाऊन वैंडिंग समिति के सदस्य के चुनाव हेतु मतपत्र	नियम-14
फार्म-3	प्रत्याशी द्वारा एजेंट नामित करने हेतु प्रपत्र	
फार्म-1		
फार्म-1		

K. K. S.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

- (2) प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध प्रभावित पक्ष द्वारा 15 दिन की समयवधि में द्वितीय अपीलीय अधिकारी के यहां प्रपत्र-ग अपील की जा सकती है।
- (3) आवेदक को सुनवाई का मौका दिये बिना अपील का निस्तारण नहीं किया जायेगा।

नगर फेरी समिति

12.

- (1) नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत में नगर फेरी समिति के गठन हेतु सम्बन्धित जिले के क्रमशः जिलाधिकारी तथा परगनाधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति में अधिनियम की धारा 22(2) में उल्लेखित प्रक्रिया के अधीन समस्त हित भागियों की बैठक नियमावली लागू होने के एक माह के मध्य आहूत की जायेगी, जिसमें नगर फेरी समिति का गठन किया जायेगा।
- (2) प्रत्येक स्थानीय निकाय में नगर फेरी समिति का संगठनात्मक स्वरूप निम्नवत् होगा:-
- | | | |
|----------|---|---------|
| (एक) | मुख्य नगर अधिकारी/अधिसासी अधिकारी | अध्यक्ष |
| (दो) | अपर जिलाधिकारी/परगनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी | सदस्य |
| (तीन) | अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी | सदस्य |
| (चार) | तकनीकी अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत | सदस्य |
| (पांच) | विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र का अधिकारी | सदस्य |
| (छ) | अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी यातायात पुलिस | सदस्य |
| (सात) | स्वास्थ्य अधिकारी, स्थानीय निकाय/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी | सदस्य |
| (आठ) | लीड बैंक प्रबंधक | सदस्य |
| (नौ) | फेरी संगठनों के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (दस) | आवासीय कल्याण संगठन के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (ग्यारह) | समुदाय आधारित संगठन के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (बारह) | स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (तेरह) | अन्य समाज अभिरूचि वाले नागरिक | सदस्य |
- (3) नगर फेरी समिति में स्वयंसेवी संस्था तथा समुदाय आधारित संगठन से न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनीत किये जायेंगे।
- (4) नगर फेरी समिति में कुल सदस्यों के न्यूनतम 40 प्रतिशत सदस्य फेरी संगठनों से होंगे, जो उनके द्वारा स्वयं चयनित किये जायेंगे, जिसमें न्यूनतम एक तिहाई महिला प्रतिनिधि होनी अनिवार्य है।

- (5) फेरी व्यवसायी प्रतिनिधियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक तथा अपंग व्यक्तियों को नगर फेरी समिति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।
- (6) नगर फेरी समिति के शासकीय सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्य उन मतों को प्राप्त कर सकेंगे, जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- नगर फेरी समिति की बैठक 13. (1) नगर फेरी समिति की साह में न्यूनतम एक बैठक आयोजित की जायेगी।
- (2) स्थानीय निकाय नगर फेरी समिति को उपयुक्त कार्यालय स्थान तथा आवश्यक कर्मियों की सेवा आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी। संबंधित नगर निकाय के विद्यमान कर्मियों की सेवाएँ उपयोगित की जायेगी।
- फेरी व्यवसाय चार्टर तथा डाटा बेस का प्रकाशन 14. (1) प्रत्येक नगर फेरी समिति द्वारा फेरी व्यवसायियों का चार्टर प्रकाशित किया जायेगा, जिसमें फेरी अनुज्ञा जारी करने की अवधि, नवीनीकरण तथा अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित समय-सीमा को परिलक्षित किया जायेगा।
- (2) प्रत्येक नगर फेरी समिति पंजीकृत फेरी व्यवसायियों तथा फेरी अनुज्ञा प्राप्त फेरी व्यवसायियों के आंकड़ों का रख-रखाव करेगी, जिसमें फेरी व्यवसायी का नाम, आवंटित स्थल, व्यवसाय की प्रकृति, फेरी व्यवसायी की श्रेणी तथा अन्य प्रासंगिक विवरण समाहित होंगे।
- नगर फेरी समिति के कृत्य 15. नगर फेरी समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-
- (क) शहर/वार्ड में फेरी व्यवसायियों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी के आंकलन हेतु सामायिक सर्वेक्षण।
- (ख) फेरी वालों का साधारण शुल्क पर पंजीकरण तथा फेरीवालों को परिचय-पत्र जारी करना।
- (ग) फेरीवालों को दी जाने वाली सुविधाओं का अनुश्रवण करना।
- (घ) प्रत्येक वेडिंग जोन की अधिकतम ग्राह्य क्षमता (holding capacity) का आकलन एवं निर्धारण करना।
- (ङ) गैर प्रतिबंधित फेरी क्षेत्रों, दिनांक, दिवस और समय के संबंध में नियंत्रित फेरी क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना, जो प्रतिबंधित फेरी क्षेत्रों (नो वेडिंग जोन) के रूप में चिह्नित होंगे।
- (च) फेरी के लिये प्रतिबंध एवं शर्तों को नियत करना एवं चूक करने वालों के विरुद्ध सुधारात्मक कार्यवाही करना।
- (छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा प्राधिकृत शुल्कों या अन्य प्रभारों का संग्रहण करना।